रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122025-268135
CG-DL-E-02122025-268135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5334] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947
No. 5334] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5517(अ).—पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पुनर्वास परिषद, भारत के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त करती है और इस उद्देश्य से भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1102 (अ.) दिनांक 21 अक्तूबर, 2002 में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (24) तथा इनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:–

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अध्यधीन नियुक्ति:

(24) **डॉ. मल्लू रवि** **– सदस्य**
संसद सदस्य (लोक सभा)

259 रोड नंबर 10सी, एमपी एमएलए कॉलोनी, जुबली हिल्स,

शाकपेट, फिल्म नगर, हैदराबाद, तेलंगाना, 500096

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होकर दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी अधिक अवधि तक हो, रहेगा।

[फा. सं. एस-2906/5/2020-आरसीआई]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1102 (अ), द्वारा जारी की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 4285 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st$_t$ December, 2025

S.O. 5517(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the central Government hereby appoints the following person as member to the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002, with effect from the date of publication of this notification, namely:-

In the said notification, for serial number (24) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (h) of the sub-section (3) of section 3:

(24) Dr. Mallu Ravi - Member

Member of Parliament(Lok Sabha)

259 Road No. 10C MP MLA Colony, Jublee Hills Shakpet,
Film Nagar, Hyderabad, Telangana, 500096

The term of office of the above member shall be for a period of two years commencing from the date of this Notification or till the appointment of his successor, whichever is longer.

[F. No. S-2906/5/2020-RCI]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy

Note: The principal notification was issued vide notification number S.O. 1102 (E), dated 21st October, 2002, and last amended vide notification number S.O. No. 4285 (E), dated 23rd September, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.02 11:52:52 +05'30'